

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 161/2019

दायर दिनांक: 01.11.2019

उनवान

1. पुरुषोत्तम दयाल पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां । (मृतक)
- 1/1 द्वारकाबाई पत्नी पुरुषोत्तम दयाल जाति ब्राहमण
- 1/2 अशोक पुत्र पुरुषोत्तम दयाल जाति ब्राहमण
- 1/3 विमल पुत्र पुरुषोत्तम दयाल जाति ब्राहमण
- 1/4 सुरेश पुत्र पुरुषोत्तम दयाल जाति ब्राहमण
- 1/5 सीमा पुत्री पुरुषोत्तम दयाल जाति ब्राहमण निवासीगण खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 ।

वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू
2. गीताबाई पत्नी महेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी बामला
3. कैलाशबाई पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी बामला तहसील बारां ।
4. गणपतलाल पुत्र गोपाल जाति ब्राहमण निवासी चुरेलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राज0 । (मृतक)
- 4/1 मोहनलाल पुत्र गणपतलाल जाति ब्राहमण निवासी चुरेलिया
- 4/2 सत्यनारायण पुत्र गणपतलाल जाति ब्राहमण निवासी गायत्रीनगर अटरू
5. मोरध्वज पुत्र गोपाल जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू मृतक
- 5/1 शिवनारायण पुत्र मोरध्वज
- 5/2 नेमीचन्द पुत्र मोरध्वज
- 5/3 भगवान पुत्र मोरध्वज
- 5/4 रामशंकर पुत्र मोरध्वज
- 5/5 राधेश्याम पुत्र मोरध्वज जातिगण ब्राहमण निवासीगण खुरी तहसील अटरू
- 5/6 नन्दकुंवर पुत्र मोरध्वज पत्नी जगदीश जाति ब्राहमण निवासी किशनगंज तहसील सुल्तानपुर जिला कोटा राज0 ।

- 5/7 गिरिराज बाई पत्नी मोहनलाल पुत्री मोरध्वज जाति ब्राहमण निवासी कोटा
6. सुरेश कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू
7. राजस्थान सरकार जयें श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादीगण :-विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

प्रतिवादीगण:-विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

निर्णय

दिनांक 06/02/2023

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में ख0न0 329 का रकबा 6.84 है0, ख0न0 346 का रकबा 1.44 है0, ख0न0 347 का रकबा 0.50 है0, ख0न0 348 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 661 का रकबा 0.03 है0, ख0न0 662 की 0.55 है0, ख0न0 345/1471 का रकबा 0.15 है0, ख0न0 320/1638 का रकबा 0.20 है0, ख0न0 330/1639 का रकबा 0.80 है0, ख0न0 9/1640 का रकबा 0.07 है0 कुल किता 10 का कुल रकबा 10.63 है0 तथा ख0नं0 320 रकबा 2.14 है0, ख0नं0 329/1449 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 330 रकबा 3.81 है0, ख0नं0 651 का रकबा 0.34 है0, ख0नं0 662/1544 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 968 का रकबा 0.03 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 6.66 है0 भूमि का पूर्व प्रकरण संख्या 86/1996 में निर्णय दिनांक 27.01.2005 द्वारा आदेश/प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अटरू से दोनों पक्षों की उपस्थिति में हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील दायर की गई जिसमें न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.09.2007 द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश व डिक्री दिनांक 27.01.2005 को यथावत रखने का आदेश पारित किया गया। उक्त निर्णय की प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील दायर की गई थी जिसकी न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.09.2019 से अपीलांट की अपील खारिज कर अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश को यथावत रखा जाकर पत्रावली इस दिशा निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की गई कि नियमानुसार प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर फाइनल डिक्री पारित करे। अतः इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.01.2005 द्वारा आदेश/प्राथमिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया जिसकी पालना में

तहसीलदार अटरु द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/2899 दिनांक 23.11.2022 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है जिससे अभिभाषकगण सहमत है।

अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरु के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2005 अनुसार विवादित आराजी ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरु जिला बारां (राज0) में ख0न0 329 का रकबा 6.84 है0, ख0न0 346 का रकबा 1.44 है0, ख0न0 347 का रकबा 0.50 है0, ख0न0 348 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 661 का रकबा 0.03 है0, ख0न0 662 की 0.55 है0, ख0न0 345/1471 का रकबा 0.15 है0, ख0न0 320/1638 का रकबा 0.20 है0, ख0न0 330/1639 का रकबा 0.80 है0, ख0न0 9/1640 का रकबा 0.07 है0 कुल किता 10 का कुल रकबा 10.63 है0 तथा ख0नं0 320 रकबा 2.14 है0, ख0नं0 329/1449 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 330 रकबा 3.81 है0, ख0नं0 651 का रकबा 0.34 है0, ख0नं0 662/1544 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 968 का रकबा 0.03 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 6.66 है0 भूमि का तहसीलदार अटरु द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

I. ग्राम खुरी के खाता संख्या 163

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	अशोक पुत्र पुरुषोत्तम हिस्सा 1/5,	329 दक्षिण	0.35 है0	माल-1	4.20
	द्वारका बाई पत्नी स्व0 पुरुषोत्तम हिस्सा	345/1471	0.15 है0	माल-1	1.80
	1/5, विमल पुत्र पुरुषोत्तम हिस्सा	346	1.44 है0	माल-1	17.28
	1/5, सुरेश पुत्र पुरुषोत्तम हिस्सा	347	0.50 है0	माल-1	6.00
	1/5, सीमा पुत्री पुरुषोत्तम हिस्सा	348	0.05 है0	माल-1	0.60
	1/5 जाति ब्राहमण के हिस्से एवं	9/1640 दक्षिण	0.02 है0	माल-1	0.20
	स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी, (प्रत्येक सहखातेदार का 1/100 वां हिस्सा एस.बी.आई. बैंक अटरु के पक्ष में रहन रहेगा)-	662 दक्षिण	0.14 है0	माल-1	1.68
	कुल किता 7	2.65 है0	-	31.76	

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
2.	कैलाशबाई पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा	320/1638	0.20 है0	माल-1	2.40
	1/3, गीताबाई पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा	329 उत्तर	6.49 है0	माल-1	77.88
	1/3, सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल	330/1639	0.80 है0	माल-1	9.60
	हिस्सा 1/3 रहन एस.बी.आई अटरु,	9/1640 उत्तर	0.05 है0	माल-1	0.60
	जातियान ब्राहमण सा. देह, (प्रत्येक	661	0.03 है0	गै.मु.चाह	-
	सहखातेदार का मूल रहन के अतिरिक्त	662 उत्तर	0.41 है0	माल-1	4.92

	1/20 वां हिस्सा एस.बी.आई. बैंक अटरू के पक्ष में रहन रहेगा)–				
		कुल किता 6	7.98 है0	–	95.40

II. ग्राम खुरी के खाता संख्या 164 :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	अशोक पुत्र पुरुषोत्तम हिस्सा 1/5, द्वारका बाई पत्नी स्व0 पुरुषोत्तम हिस्सा 1/5, विमल पुत्र पुरुषोत्तम हिस्सा 1/5, सुरेश पुत्र पुरुषोत्तम हिस्सा 1/5, सीमा पुत्री पुरुषोत्तम हिस्सा 1/5 जातियान ब्राहमण, (प्रत्येक सहखातेदार का 1/300 वां हिस्सा एस.बी.आई. बैंक अटरू के पक्ष में रहन रहेगा)–	330 दक्षिण 662/1544 उत्तर	0.52 है0 0.03 है0	माल-1 माल-1	6.24 0.36
		किता 2	0.55 है0	–	6.60

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
2.	कैलाशबाई पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा 167/1833, गीताबाई पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा 167/1833, सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 167/1833 रहन बी0ओ0बी0 अटरू, मोहनलाल पुत्र गणपतलाल हिस्सा 111/611 रहन बी0ओ0बी0 अटरू, सत्यनारायण पुत्र गणपतलाल हिस्सा 111/611 रहन एस0बी0आई0 अटरू, गिराजबाई पुत्री मोरध्वज हिस्सा 222/4277, नन्दकुंवर बाई पुत्री मोरध्वज हिस्सा 222/4277, नेमीचन्द पुत्र मोरध्वज हिस्सा 222/4277 रहन बी0ओ0बी0 अटरू, भगवान पुत्र मोरध्वज हिस्सा 75/4277, रामशंकर पुत्र मोरध्वज हिस्सा 222/4277 रहन एस0बी0आई0 अटरू, राधेश्याम पुत्र मोरध्वज हिस्सा 222/4277 रहन बी0ओ0बी0 अटरू, शिवनारायण पुत्र मोरध्वज हिस्सा 222/4277 रहन आई0डी0बी0आई0, जाति ब्राहमण सा. देह, परवीना पत्नि हरिश हिस्सा 21/611 जाति धाकड सा जिरोद के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी, (कैलासबाई , गीताबाई सत्यनारायण पुत्रान कन्हैयालाल के अपने मूल	320 329/1449 330 651 662/1544 दक्षिण 968	2.14 है0 0.26 है0 3.29 है0 0.34 है0 0.05 है0 0.03 है0	माल-1 माल-1 माल-1 माल-1 माल-1 बा. उत्तम	25.68 3.12 39.48 4.08 0.60 0.48

	रहन के अतिरिक्त 1/300 वां भाग एस.बी.आई. बैंक अटरू के पक्ष में रहन रहेगा) –				
		किता 6	6.11 है0	–	73.44

नोट:– न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार सहखातेदार सुरेश पुत्र सत्यनारायण का नाम खाते से हटाया गया है जबकि सहखातेदार सुरेश द्वारा अपने हिस्से की आराजी एस.बी.आई. बैंक अटरू के पक्ष में रहन दर्ज कर कृषि ऋण ले रखा है। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय में उक्त कृषि ऋण के भुगतान के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं है। यदि किसी भूमि के मालिकाना हक में कोई परिवर्तन आता है तो भी भूमि पर प्रथम चार्ज बैंकिंग नियमों के अधीन संबंधित बैंक का ही रहता है। यह हिस्सा कृषि ऋण चुकाने के उपरान्त ही रहन से मुक्त हो सकता है। इसलिए सुरेश पुत्र सत्यनारायण का विलोपित हिस्से पर दर्ज रहन का नोट संबंधित सभी नये सहखातेदारों के यथावत रखा जावे।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक््री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 161/2019

दायर दिनांक: 01.11.2019

उनवान

1. पुरुषोत्तम दयाल पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां । (मृतक)
- 1/1 द्वारकाबाई पत्नी पुरुषोत्तम दयाल जाति ब्राहमण
- 1/2 अशोक पुत्र पुरुषोत्तम दयाल जाति ब्राहमण
- 1/3 विमल पुत्र पुरुषोत्तम दयाल जाति ब्राहमण
- 1/4 सुरेश पुत्र पुरुषोत्तम दयाल जाति ब्राहमण
- 1/5 सीमा पुत्री पुरुषोत्तम दयाल जाति ब्राहमण निवासीगण खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 ।

वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू
2. गीताबाई पत्नी महेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी बामला
3. कैलाशबाई पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी बामला तहसील बारां ।
4. गणपतलाल पुत्र गोपाल जाति ब्राहमण निवासी चुरेलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राज0 । (मृतक)
- 4/1 मोहनलाल पुत्र गणपतलाल जाति ब्राहमण निवासी चुरेलिया
- 4/2 सत्यनारायण पुत्र गणपतलाल जाति ब्राहमण निवासी गायत्रीनगर अटरू
5. मोरध्वज पुत्र गोपाल जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू मृतक
- 5/1 शिवनारायण पुत्र मोरध्वज
- 5/2 नेमीचन्द पुत्र मोरध्वज
- 5/3 भगवान पुत्र मोरध्वज
- 5/4 रामशंकर पुत्र मोरध्वज
- 5/5 राधेश्याम पुत्र मोरध्वज जातिगण ब्राहमण निवासीगण खुरी तहसील अटरू
- 5/6 नन्दकुंवर पुत्र मोरध्वज पत्नी जगदीश जाति ब्राहमण निवासी किशनगंज तहसील सुल्तानपुर जिला कोटा राज0 ।
- 5/7 गिरिराज बाई पत्नी मोहनलाल पुत्री मोरध्वज जाति ब्राहमण निवासी कोटा
6. सुरेश कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू
7. राजस्थान सरकार जयें श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादीगण :-विद्वान अभिभाषक श्री बद्दीलाल नागर

प्रतिवादीगण:-विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

मिनजानित मुदई रुबरुX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरु जिला बारां (राज0) में ख0न0 329 का रकबा 6.84 है0, ख0न0 346 का रकबा 1.44 है0, ख0न0 347 का रकबा 0.50 है0, ख0न0 348 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 661 का रकबा 0.03 है0, ख0न0 662 की 0.55 है0, ख0न0 345/1471 का रकबा 0.15 है0, ख0न0 320/1638 का रकबा 0.20 है0, ख0न0 330/1639 का रकबा 0.80 है0, ख0न0 9/1640 का रकबा 0.07 है0 कुल किता 10 का कुल रकबा 10.63 है0 तथा ख0नं0 320 रकबा 2.14 है0, ख0नं0 329/1449 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 330 रकबा 3.81 है0, ख0नं0 651 का रकबा 0.34 है0, ख0नं0 662/1544 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 968 का रकबा 0.03 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 6.66 है0 भूमि का तहसीलदार अटरु द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

I. ग्राम खुरी के खाता संख्या 163

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	अशोक पुत्र पुरुषोत्तम हिस्सा 1/5, द्वारका बाई पत्नी स्व0 पुरुषोत्तम हिस्सा 1/5, विमल पुत्र पुरुषोत्तम हिस्सा 1/5, सुरेश पुत्र पुरुषोत्तम हिस्सा 1/5, सीमा पुत्री पुरुषोत्तम हिस्सा 1/5 जाति ब्राहमण के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी, (प्रत्येक सहखातेदार का 1/100 वां हिस्सा एस.बी. आई. बैंक अटरु के पक्ष में रहन रहेगा)-	329 दक्षिण	0.35 है0	माल-1	4.20
		345/1471	0.15 है0	माल-1	1.80
		346	1.44 है0	माल-1	17.28
		347	0.50 है0	माल-1	6.00
		348	0.05 है0	माल-1	0.60
		9/1640 दक्षिण	0.02 है0	माल-1	0.20
		662 दक्षिण	0.14 है0	माल-1	1.68
	कुल किता 7	2.65 है0	-	31.76	

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
2.	कैलाशबाई पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा 1/3, गीताबाई पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा 1/3, सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/3 रहन एस.बी.आई. अटरु, जातियान ब्राहमण सा. देह, (प्रत्येक सहखातेदार का मूल रहन के अतिरिक्त 1/20 वां हिस्सा एस.बी.आई. बैंक अटरु के पक्ष में रहन रहेगा)-	320/1638	0.20 है0	माल-1	2.40
		329 उत्तर	6.49 है0	माल-1	77.88
		330/1639	0.80 है0	माल-1	9.60
		9/1640 उत्तर	0.05 है0	माल-1	0.60
		661	0.03 है0	गै.मु.चाह	-
		662 उत्तर	0.41 है0	माल-1	4.92
	कुल किता 6	7.98 है0	-	95.40	

II. ग्राम खुरी के खाता संख्या 164 :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	अशोक पुत्र पुरुषोत्तम हिस्सा 1/5, द्वारका बाई पत्नी स्व0 पुरुषोत्तम हिस्सा 1/5, विमल पुत्र पुरुषोत्तम हिस्सा 1/5, सुरेश पुत्र पुरुषोत्तम हिस्सा 1/5, सीमा पुत्री पुरुषोत्तम हिस्सा 1/5 जातियान ब्राहमण, (प्रत्येक सहखातेदार का 1/300 वां हिस्सा एस.बी.आई. बैंक अटरु के पक्ष में रहन रहेगा)-	330 दक्षिण	0.52 है0	माल-1	6.24
		662/1544 उत्तर	0.03 है0	माल-1	0.36
		किता 2	0.55 है0	-	6.60

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
2.	कैलाशबाई पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा 167/1833, गीताबाई पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा 167/1833, सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 167/1833 रहन बी०ओ०बी० अटरू, मोहनलाल पुत्र गणपतलाल हिस्सा 111/611 रहन बी०ओ०बी० अटरू, सत्यनारायण पुत्र गणपतलाल हिस्सा 111/611 रहन एस०बी०आई० अटरू, गिराजबाई पुत्री मोरध्वज हिस्सा 222/4277, नन्दकुंवर बाई पुत्री मोरध्वज हिस्सा 222/4277, नेमीचन्द पुत्र मोरध्वज हिस्सा 222/4277 रहन बी०ओ०बी० अटरू, भगवान पुत्र मोरध्वज हिस्सा 75/4277, रामशंकर पुत्र मोरध्वज हिस्सा 222/4277 रहन एस०बी०आई० अटरू, राधेश्याम पुत्र मोरध्वज हिस्सा 222/4277 रहन बी०ओ०बी० अटरू, शिवनारायण पुत्र मोरध्वज हिस्सा 222/4277 रहन आई०डी०बी०आई०, जाति ब्राह्मण सा. देह, परवीना पत्नि हरिश हिस्सा 21/611 जाति धाकड सा जिरोद के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी, (कैलासबाई , गीताबाई सत्यनारायण पुत्रान कन्हैयालाल के अपने मूल रहन के अतिरिक्त 1/300 वां भाग एस.बी.आई. बैंक अटरू के पक्ष में रहन रहेगा) –	320 329/1449 330 651 662/1544 दक्षिण 968	2.14 है० 0.26 है० 3.29 है० 0.34 है० 0.05 है० 0.03 है०	माल-1 माल-1 माल-1 माल-1 माल-1 बा. उत्तम	25.68 3.12 39.48 4.08 0.60 0.48
		किता 6	6.11 है०	–	73.44

नोट:- न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार सहखातेदार सुरेश पुत्र सत्यनारायण का नाम खाते से हटाया गया है जबकि सहखातेदार सुरेश द्वारा अपने हिस्से की आराजी एस.बी.आई. बैंक अटरू के पक्ष में रहन दर्ज कर कृषि ऋण ले रखा है। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय में उक्त कृषि ऋण के भुगतान के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं है। यदि किसी भूमि के मालिकाना हक में कोई परिवर्तन आता है तो भी भूमि पर प्रथम चार्ज बैंकिंग नियमों के अधीन संबंधित बैंक का ही रहता है। यह हिस्सा कृषि ऋण चुकाने के उपरान्त ही रहन से मुक्त हो सकता है। इसलिए सुरेश पुत्र सत्यनारायण का विलोपित हिस्से पर दर्ज रहन का नोट संबंधित सभी नये सहखातेदारों के यथावत रखा जावे।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज०)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 06.02.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज०)

मुदई		मुदलयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)